रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222008
CG-DL-E-26092020-222008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 477] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 586(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान (चालन) विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (चालन)(संशोधन) विनियम, 2020 है ।

   (2) ये 1 अक्तूबर, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटरयान (चालन) विनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 37 में उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"परंतु इसका उपयोग यान के डेशबोर्ड पर युक्ति को नियत करके केवल मार्ग पथ प्रदर्शन के लिए ऐसी रीति में होगा कि इससे यान चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो ।" ।

3. उक्त विनियम के विनियम 38 में,--

(क) उपविनियम (1) में, "मूल दस्तावेजों" शब्दों के स्थान पर "भौतिक या इलक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (1) में, "उसके साथ हमेशा रखेगा" शब्दों के पश्चात् "भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक प्ररूप में दस्तावेजों के निरीक्षण के पश्चात् यदि दस्तावेजों का विधिमान्य और प्रवृतन में होना पाता है, तब ऐसे दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए भौतिक रूप में नहीं मांगा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मामले भी है जहां किए गए किसी अपराध के लिए किन्ही ऐसे दस्तावेजों का अभिग्रहण की आवश्यक हों ।" ।

[सं. आरटी-11036/65/2019-एमवीएल (भाग 3)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 634(अ), तारीख 23 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September,, 2020

G.S.R. 586(E).—In exercise of the powers conferred by section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017, namely:

1. **Short title and commencement**. — (1) These regulations may be called as the Motor Vehicles (Driving) (Amendment) Regulations, 2020.

   (2) These regulations shall come into force with effect from 1st October, 2020.

2. In the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 37, after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

   "Provided that such use is solely for route navigation by fixing the device on the dashboard of the vehicle in such a manner that shall not disturb the concentration of the driver while driving.".

3. In the said regulations, in regulation 38, -

   (a) in sub-regulation (1) for the words "documents in original" the words "documents in physical or electronic form" shall be substituted;

   (b) in sub-regulation (3) after the words "shall always carry with him" the words "in physical or electronic form" shall be inserted;

   (c) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(5) After inspection of the documents in electronic form, referred to above, by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, if the documents are found to be valid and in force, then physical forms of such documents shall not be demanded for inspection, including in cases where there is an offence made out necessitating seizure of any such documents.".

[No. RT-11036/65/2019-MVL (Part 3)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 634(E) dated the 23rd June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM